पत्रांकः- यू.पी.ए.ए./08/01-93/02-2015

दिनंाक-21.02.2015

सेवा में,
पीयूष गोयल
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत सरकार,
ब्लॉक-14, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003.

विषयः- गैर पारम्परिक ऊर्जा के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

मेरा सतत् प्रयास है कि सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम धरातल पर किस प्रकार से संचालित हो रहे है, यह तथ्य आपके संज्ञान में लाता रहूॅ।

समाचार पत्रों से केन्द्र सरकार की गैर पारम्परिक ऊर्जा को बढ़ाने की चिन्ता दिखाई पड़ती है। गैर पारम्परिक ऊर्जा का मंत्रालय स्तर पर एक समूचा विभाग होने के बाद भी इस क्षेत्र में आपेक्षित परिणाम न मिल पाने के कुछ कारण निम्न भी है-

1. राष्ट्रीयकृत सभी बैंक इस कार्यक्रम के लिये अनुदानित ब्याज दर पर ऋण देने में अत्यधिक आनाकानी करते है। लोगों को दो-दो साल भटकने पर भी बैंको से ऋण प्राप्त नहीं हुआ है। बैंको से गैर अधिकारिक सुत्रों से ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार की गैर पारम्परिक ऊर्जा विभाग से अनुदान राशि बिना उपकृत किये बैंको को प्राप्त नही होती है। अतः सभी बैंक अनुदानित ब्याज दर पर ऋण देने में कतराते है तथा वाणिज्यिक ब्याज दर (लगभग 12 प्रतिशत) पर ही ऋण देने को तैयार है। यह बाधा सामान्य नागरिक के लिये सौर विद्युत संयंत्र क्रय करने में बाधक है।
2. उत्तर प्रदेश में एक और बाधा यह भी है कि यदि हम सौर विद्युत का उत्पादन ग्रिड में वापस भेजना चाहंे तो उस पर दण्ड लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हमारा विद्युत बिल एक हजार यूनिट आता है और हम सौर विद्युत की 400 यूनिट वापस ग्रिड को भेज दे ंतो हमारा बिल 600 यूनिट का आना चाहिए किन्तु यह बिल दण्ड के साथ 1400 यूनिट का आता है। आगरा में टोरन्ट पावॅर लिमिटेड, इसी प्रकार से बिल वसूल रही है।
3. सामाचार पत्रों से यह भी ज्ञात हुआ कि भारत सरकार सभी प्रदेश सरकारों को भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिये कहेगी कि भवनों में सौर्य विद्युत लगायें जायें। इस सन्दर्भ में आपके संज्ञान में लाना चाहूॅगा कि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधान के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण पत्र आवश्यक है किन्तु इस प्रावधान को
4. वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी लागू नही किया गया है। ऐसे माहौल में केन्द्र सरकार के प्रयास कितने सफल होगें इसका आंकलन भी आवश्यक होगा।

अतः भारत सरकार से अपेक्षा है कि सभी प्रदेश की सरकारों से कानून लागू करने तथा इसमें संशोधन (यदि आवश्यक हो) करने के लिये कहें ताकि सौर ऊर्जा को कम से कम हतोत्साहन तो न मिले। साथ ही सौर ऊर्जा के अनुदान की अड़चनों को दूर करते हुये अनुदान मिलने का समय श्जो वर्तमान में लगभग दो वर्ष तक हैश् से घटाकर सयंत्र चालू होने के तुरन्त बाद बिना किसी को उपकृत किये मिलना प्रारम्भ हो जाये। उक्त तथ्य मेरे व्यक्तिगत अनुभवों का आधार भी रखते है।

हमें विश्वास है कि सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन में उपर्युक्त अड़चनों को दूर करने से सरकार की योजना तेजी से सफलता की ओर बढ़ेगी।

सधन्यवाद।

भवदीय

अध्यक्ष

राजीव कुमार द्विवेदी